# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 926/2004**

अशोक कुमार कश्यप **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान सरकार, वन भवन, जयपुर।
3. प्रभागीय वन अधिकारी, जयपुर रोड़, अजमेर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 13.08.2004
**आदेश की दिनांक** : 12.10.2023

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री अमन बोहरा, अभिभाषक
**प्रत्यर्थीगण की ओर से** : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**लेखराज तोसावडा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 23.04.2004 एवं 15.05.2004 अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी का नाम उचित स्थान पर अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 23.04.2004 में जोडा जावे एवं उसके नाम पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे और समस्त पारिणामिक लाभ तथा शेष राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 24.12.1968 को लेबर विभाग में खेल पर्यवेक्षक के पद पर हुई थी। अपीलार्थी ने लेबर विभाग में दिनांक 30.12.1968 को कार्यग्रहण किया था। आदेश दिनांक 24.12.1968 के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति विरूद्ध अनुपूरक आधार पर थी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में खेल पर्यवेक्षक का पद समाप्त कर दिया गया था जिससे अपीलार्थी को खेल पर्यवेक्षक के पद अधिशेष घोषित कर दिया गया था। अपीलार्थी को वर्ष 1976 में समान ग्रेड पर वनरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया

था। अपीलार्थी की वनपाल के पद पर नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा की गई थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 17.04.1976 के द्वारा वन सरंक्षक कार्यालय पश्चिम सर्किल, उदयपुर रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्ति के लिए अनुमति दी गई थी। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा दिनांक 08.05.1978 को वरिष्ठता सूची जारी की गई जिसमें अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं किया गया था जबकि अपीलार्थी अन्य कार्मिकों से पहले वनपाल के पद पर दिनांक 15.04.1976 को नियुक्त किया था। अपीलार्थी की वरिष्ठता सूची वर्ष 1993 में भी नाम दर्ज नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा अपीलार्थी का वरिष्ठता सूची नाम नहीं होने का कारण बताया कि विभाग द्वारा वर्ष 1976 से 1993 तक अपीलार्थी के स्थायी होने के आदेश जारी नहीं किये गए है इसलिए अपीलार्थी का वरिष्ठता सूची में नाम होने के लिए योग्य नहीं है। वरिष्ठता सूची दिनांक 20.09.1993 को वापस जारी की गई जिसमें भी अपीलार्थी का नाम विभाग द्वारा स्थायीकरण आदेश जारी नहीं करने के कारण शामिल नहीं हुआ। रेंजर–द्वितीय की अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 01.06.2001 को जारी की गई थी। अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 08.03.2004 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसका आज दिनांक तक कोई निस्तारण नहीं किया गया है। वरिष्ठता सूची दिनांक 01.06.2001 को जारी उसे बिना किसी कारण निरस्त कर दिया गया तथा फिर दिनांक 08.03.2004 को वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। अपीलार्थी के द्वारा जारी वरिष्ठता सूची के विरूद्ध अभ्यावेदन दिनांक 26.03.2004 तक प्रस्तुत किए गए लेकिन उनका कोई निस्तारण नहीं किया गया। अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 23.04.2004 को जारी की गई जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 147 पर रखा गया जिसमें अपीलार्थी ने दिनांक 26.03.2004 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी के अभ्यावेदन को आदेश दिनांक 15.05.2004 को खारिज कर दिया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 23.04.2004 एवं 15.05.2004 अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी का नाम उचित स्थान पर अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 23.04.2004 में जोडा जावे एवं उसके नाम पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे और समस्त पारिणामिक लाभ तथा शेष राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी श्रम विभाग में दिनांक 30.12.1968 से कार्यरत था, जिसको सरप्लस होने पर कार्मिक (क–2) विभाग के

आदेश के क्रम में वन संरक्षक पश्चिम वृत उदयपुर के आदेश दिनांक 17.04.1976 से वनपाल सीधी भर्ती के पद पर समावेश किया गया। अपीलार्थी का वनपाल की वरिष्ठता सूची दिनांक 08.05.1978 एवं 20.09.1993 में जारी वरिष्ठता सूची में वनपाल केडर में स्थायी नहीं होने के कारण नाम नहीं था। क्योंकि अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियन्त्रण) नियम–1957 की नियम–17 के अन्तर्गत जांच निचाराधीन थी। इस जांच का निस्तारण होने तक नियम–32बी के अनुसार अपीलार्थी को स्थायी नहीं किया जा सकता था। विभागीय आदेश दिनांक 29.7.1997 से अपीलार्थी को दिनांक 01.09.1983 स्थायी किया गया। विभागीय आदेश दिनांक 10.11.1997 से अपीलार्थी एवं चार अन्य वनपालों की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी। उक्त अस्थायी वरिष्ठता सूची के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति हेतु दिनांक 30.11.1997 से पूर्व कार्मिकों से आपत्तियां मांगी गयी। अपीलार्थी ने तत्समय किसी प्रकार की कोई आपत्ति वरिष्ठता सूची के संबंध में प्रस्तुत नहीं की। प्रत्यर्थी विभाग ने प्राप्त आपत्तियों पर विचार करके आदेश दिनांक 04.08.2000 के द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी। जिसमें अपीलार्थी का वनपालों की स्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 20.09.1993 में क्रम संख्या–363ए पर नाम जोड़ा गया। वर्ष 1993 में उपरोक्त दोनों वरिष्ठता सूचियों को मिलाकर आदेश क्रमांक 5490/सी दिनांक 20.09.1993 से वरिष्ठता सूची जारी की गयी। जिसमें अपीलार्थी का नाम 363/ए पर दिनांक 10.12.1997 से अस्थायी वरिष्ठता सूची में एवं दिनांक 04.08.2000 से अंतिम वरिष्ठता सूची में निर्धारित किया गया। कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1) कार्मिक/क–2/96 दिनांक 10.10.2002 से राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम–1963 के नियम–29 में किए गये संशोधन के अन्तर्गत नियमित रूप से चयनित क्षेत्रीय ग्रेड–2 के नाम जोड़े जाकर अंतरिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाकर 15 दिवस की अवधि में अभ्यावेदन चाहे गये। अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। जिस पर निर्णय लिया जाकर अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 23.04.2004 जारी की गयी। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–147 पर अंकित हैं प्रोविजनल वरिष्ठता सूची में वर्ष 1981 से 1993–94 तक पूर्व में कार्यरत श्रेत्रीय ग्रेड–2 के नाम जोड़ने पर अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची के क्रमांक 97 से 147 पर रखा गया है। अपीलार्थी श्रम विभाग में 1968 में नियोजित हुआ। जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया जाकर दिनांक 29.02.1976 को प्रत्यर्थी विभाग में वनपाल के पद पर समायोजित किया गया। अपीलार्थी को वनपाल संवर्ग में प्रथम नियुक्ति से पूर्व अवधि को सेवा में सम्मलित किया गया तथा वनपाल संवर्ग

की वरिष्ठता सूची में प्रत्यर्थी विभाग में ड्यूटी पर उपस्थित हुआ। तब से वनपाल की पूर्ण वरिष्ठता दी गयी। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम–1963 के प्रावधान 29 के अनुरूप नियमित रूप से चयन अनुसार किया गया तथा चयनित वेतन श्रृंखला देते हुए पूर्व विभाग की सेवाओं को सम्मलित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को नियमानुसार समस्त परिलाभ दिये जा चुके है। समय–समय पर जारी वरिष्ठता सूचियों में सही स्थान पर सम्मलित कर पूर्ण परिलाभ दिए गए। अपीलार्थी को जिस दिन विभाग में ड्यूटी पर उपस्थित हुआ तब से वनपाल की पूर्ण वरिष्ठता दी गई। अपीलार्थी द्वारा पूर्व विभाग में कार्यरत सेवा को वनपाल की वरिष्ठता में जोड़ने का आग्रह किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 24.12.1968 को लेबर विभाग में खेल पर्यवेक्षक के पद पर हुई थी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में खेल पर्यवेक्षक का पद समाप्त कर दिया गया, जिससे अपीलार्थी को खेल पर्यवेक्षक के पद अधिशेष घोषित कर वर्ष 1976 में समान ग्रेड पर वनरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी की वनपाल के पद पर नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा की गई थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 17.04.1976 के द्वारा वन सरंक्षक कार्यालय पश्चिम सर्किल, उदयपुर रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्ति दी गई थी। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा दिनांक 08.05.1978 को वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं किया गया था। वरिष्ठता सूची वर्ष 1993 में भी अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं किया गया। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि वर्ष 1976 से 1993 तक स्थायी आदेश जारी नहीं होने के कारण अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में नहीं जोडा गया। ऐसी स्थिति में हम प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर इस आदेश के जारी होने की तिथी से दो सप्ताह में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन देवें और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन को गुणावगुण पर विचार करते हुए सेवा अवधि का उचित एवं सही मूल्यांकन कर उसकी वरिष्ठता का नियमानुसार निर्धारण करते हुए उसके अभ्यावेदन

को नियमानुसार दो माह में निस्तारित करें, जिसकी सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देवें।

अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावडा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**